# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

| प्रकरण संख्या | GCMS.No. | दर्ज दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|---|
| 03/2024 | 2024/109 | 16.08.2024 | 27.09.2024 |

पैरोकार सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार प्रतापगढ़

:— प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री सोहन सिंह डोडियार पुत्र श्री रूप सिंह डोडियार निवासी रानीगांव तहसील पिपलोदा जिला रतलाम प्रापराईटर मैसर्स महावीर कृषि सेवा केन्द्र कोटडी, अरनोद जिला, प्रतापगढ़

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **Seizure of fertilizer stok of Under Clause (28)(1) (D) of FCO 1985** कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत

उपस्थिति :—
पैरोकार सरकार
अप्रार्थी स्वयं

—: आदेश :— दिनांक 27.09.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत Seizure of fertilizer stok of Under Clause (28)(1)(D) of FCO 1985 Intimation Under Clause (28)(3) of FCO 1985 Reg आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा युरिया खाद एवं अन्य रासायनिक खाद की कालाबाजारी को राकने के संबंध में दिये गये निर्देशों की पालना में अप्रार्थी श्री सोहन सिंह प्रो. MS महावीर कृषि सेवा केन्द्र कोटडी, अरनोद जिला, प्रतापगढ़ के यहां दिनांक 24.12.2023 को किये गये औचक निरीक्षण में अप्रार्थी के गोदाम पर नेशनल फर्टिलाईजर बाई लि. नोचडा उ.प्र. निर्मित नवम्बर 2023 ईम्पोर्टेड फोम रसिया 14402/08 के कुल 90 बेग, नीम लेपित युरिया के प्रति बेग 45 किलो की पेकिंग तथा सफल्र 90 प्रतिशत दानेदार बेच नंबर SBJB 090623 निर्माण तिथी सितम्बर निर्माता चम्बल फर्टिलाईजर एवं केमिकल्स गडेपान कोटा 325208 के 5 किलो साईज में पुनः पेकिंग बेग में 5 थेली वजन बेग का 25 किलो के 21 बेग कुल मात्रा 525 किलो, सिटी कम्पोस्ट आर्गेनिग (कार्बनिक) खाद बेच नंबर JPR 38, निर्माता Indo Enviro Integerted Solution Limited New Delhi विपणन कर्ता नेशनल फर्टिलाईजर लि. नई दिल्ली A- 11 Sector 24 नोएडा, 201301 उ.प्र. के कुल 20 बेग प्रति वेग 50 किलो का कुल वजन 1000 किलो मौके पर पायी गई।



जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उक्त सभी उर्वरकों का जब्ती FCO 1985 की धारा 28(1) D के तहत की जाकर सभी उर्वरकों को ग्राम सेवा सहकारी समिति कोटडी , पं.सं. अरनोद की कस्टडी में रखवाये गये। वक्त निरीक्षण श्री कृष्णपाल सिंह राठौर कृषि अधिकारी, श्री रोशन लाल डांगी, कृषि अधिकारी, श्री दिनेश कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी चूपना , श्री घनश्याम, श्री राजमल व श्री सुनिल सोलंकी पुत्र श्री पुष्कर सोलंकी निवासी कोटडी उपस्थित रहे।

सहायक निदेशक कृषि विस्तार प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत Seizure of fertilizer stok of Under Clause (28)(1)(D) of FCO 1985 Intimation Under Clause (28)(3) of FCO 1985 Reg आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं उपस्थित बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई। दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियान के तहत खाद बीज वितरण की काला बाजारी रोकने एवं समुचित वितरण प्रणाली बनाये रखने की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी फर्म के यहां सक्षम स्वीकृति के बिना जब्तशुदा सामग्री का भण्डारण किया जाना पाया गया जिसके लिए वक्त कार्यवाही अप्रार्थी फर्म वितरण हेतु अधिकृत नहीं थी। विभागीय नियमानुसार जब्तशुदा सामग्री को विधिवत् सीज किया जाकर अधिकृत विक्रेता की सिपुदर्गी में रखा जाकर उक्त सामग्री की मानकता की परीक्षण भी कराया गया जो निर्धारित मानकों अनुरूप थी किन्तु अप्रार्थी फर्म के वक्त कार्यवाही तत्कालिन समय में उक्त सामग्री के वितरणएवं भण्डारण हेतु सक्षम स्वीकृति अभिप्राप्त नहीं होने के आधार पर की गई कार्यवाही उचित रही है। जिससे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री को राजसात किया जाकर विधिवत् वितरण प्रणाली में लाने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अप्रार्थी फर्म संचालक द्वारा निवेदन कि अप्रार्थी द्वारा संचालित फर्म कृषि विभाग से जारी स्वीकृत पत्र पंजीकरण क्रमांक :– FR/2022–23/21910 दिनांक 22.08.2023 से 21.08.2028 तक की वैधता के साथ जारी किया हुआ है जिसे खाद बीज वितरण हेतु पंजीकृत होल सेलर मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कमपनी, छोटीसादड़ी एवं शिव शक्ति खाद बीज भण्डार, प्रतापगढ़ द्वारा अधिकृत किया हुआ था। तथा उक्त फर्म में अन्य सामग्री क्रय विक्रय विस्तारण हेतु अप्रार्थी फर्म द्वारा दिनांक 15.12.2023 को अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु जरिये ऑन लाईन प्रक्रिया आवेदन शुल्क जमा कराते हुए आवेदन किया हुआ था जिसके संदर्भ में जब्तशुदा सामग्री आगामी वितरण हेतु प्रि–ऑडर के रूप में सप्लाई करने हेतु मंगा कर भण्डारित की हुई थी जिसका वितरण नहीं किया जा रहा था। उक्त समस्त सामग्री वास्तविक रूप में अप्रार्थी के भण्डारण के लिए नहीं होकर आस पास के काश्तकारों के वितरण के लिए है। किन्तु वक्त कार्यवाही तक अप्रार्थी फर्म को अनाधिकृत मानते हुए विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए जब्तशुदा सामग्री के सेंपल टेस्ट हेतु भेजे गये जो मानक स्तर के पाये गये हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जाकर अप्रार्थी फर्म की जब्तशुदा सामग्री वितरण हेतु लौटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया जिससे संज्ञान में आया कि अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही तत्कालीन राज्यादेशों के अधीन समयक् रूप में की गई है, किन्तु अप्रार्थी फर्म के पंजीकृत फर्म होकर खाद बीज वितरण हेतु वैकल्पिक रूप से कार्य किया जा रहा था जिसे जब्तशुदा सामग्री वितरण का तत्कालिन समय में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु उसके द्वारा ऐसी सामग्री के वितरण एवं भण्डारण हेतु विधिवत आवेदन किया जाना रिकार्ड पर प्रमाणित हुआ है तथा उक्त फर्म स्वीकृति आदेश इन्तजार में उक्त सामग्री को प्रि–ऑडर के रूप में भण्डारित



जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

किया जाना समुचित प्रतीत होता है किन्तु वक्त कार्यवाही जब्तशुदा सामग्री का वितरण नहीं किया जाना तथा जब्तशुदा समस्त सामग्री मानक रूप में प्रमाणित पाये जाने से सुविधा के सन्तुलन को देखते हुए एवं वर्तमान में उक्त फर्म को ऐसी सामग्री के क्रय--विक्रय एवं वितरण हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हो जाने से प्रस्तुत आवेदन औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी फर्म से जप्तशुदा सामग्री युरिया 90 बेग एवं सल्फर 525 किलो, सिटी कम्पोस्ट 20 किलो पुनः अप्रार्थी को लौटाई जाकर विधिवत् वितरण की कार्यवाही संपादित करावें तथा अप्रार्थी फर्म को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही ऐसी सामग्री के भण्डारण एवं वितरण का कार्य करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ